













## खास खबर



नाबालिंग से ईप के दोषी को 20 साल की कैद: शार्दी का झांसा देकर भगा ले गया था, खाली मकान में बना रखा था बंधक

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। अपर सत्र न्यायालय एफटीएससी (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने शार्दी का झांसा देकर 17 वर्षीय किशोरी से ईप के दोषी 33 वर्षीय युवक को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी 1 जुलाई 2020 को किशोरी को भगा ले गया था। पुलिस ने पिता को शिकायत पर नाबालिंग लड़की को आरोपी के कहंजे से बरामद किया था।

न्यायालय से मिली जानकारी के मुताबिक, जैतपुर शहरीले निवासी धनीराम सिंह (33) मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के केलहारी थाना थोंक में बाली नाबालिंग को 1 जुलाई 2020 को भगाकर ले गया था। धनीराम यिह पहले किशोरी के गांव में घूमने आया था, जहां उसकी पहचान उसके साथ हुई थी। नाबालिंग को युवक ने अपने प्रेम जाल में फ़साया और शार्दी करने का झांसा दिया। नाबालिंग भी आरोपी को बातों में आ गई और घर छोड़कर उसके साथ चली गई। आरोपी नाबालिंग को अपने चाचा के सूने मकान में ले गया। वहां उसके साथ ईप किया। उसने लड़की को अपने चाचा के घर पर ही रखा दुआ था।

पुस्ति ने दर्ज किया था अपाराध

मामले में नाबालिंग के पिता की शिकायत पर केलहारी पुलिस ने आरोपी युवक धनीराम सिंह के खिलाफ धारा 363, 366, 376 (2) (एन) और पॉक्सो एकट की धारा 4,6 के तहत अपराध दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को 10 जुलाई 2020 को गिरफ्तार किया, तब से हाल न्यायिक हिरासत में जेल में बैठ दें। किशोरी को 9 जुलाई 2020 को पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद किया था।

मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायालय, एफटीएससी (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित ने शिविर को मामले में फैसला सुनाया। न्यायालय ने धारा 4,6 के अपराधों से बालों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 साल, धारा 366 में 5 साल, धारा 363 में 2 साल सत्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों धाराओं में 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

बिना परमिट चल रहे वाहन जब्त, 10 पर जुर्माना

कोरबा (ए.)। शहर के नया बस स्टैंड में जॉन के लिए परिवहन विभाग की उड़नदस्ता टीम पहुंची, जहां बिना परमिट के चलते एक बस को पकड़कर जब्त कर लिया। बिना परमिट के पालारी थाना लगाया है। शहर में बालों के मनमाने तरीके से संचालन पर लगाम कंसने परिवहन विभाग ने जॉन अधियान शुरू किया है। शिविर को विभाग की उड़नदस्ता टीम शहर के नया बस स्टैंड पहुंची, जहां बालों के परमिट के फिनेस की जांच की गई। इस दौरान एक बस बिना परमिट के चलते हुए पकड़ा गया, जिसे जब्त कर लिया। वहाँ 10 बस में नियमों का पूरी तरह पालन होना नहीं पाया गया।

# भाभी से शादी कर उसे भी बनाया चोर: ट्रेनिंग देकर रायपुर में प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर से की 20 लाख की चोरी

रायपुर (ए.)। रायपुर पुलिस ने चोर दंपती को नियंत्रित किया है। पकड़ा गया आरोपी हिराशीर है और उसने कुछ महीने पहले अपनी ही भाभी से शादी की। पिर उसे भी चोरी की ट्रेनिंग दी और दोनों एक प्रॉपर्टी डीलर के मकान से सोने-चांदी के गहने सहित 20 लाख का सामान चोरी कर लिया। वारदात सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है।

पुलिस ने बताया कि, न्यू शांति नगर निवासी दोपक गार्डन प्रॉपर्टी डीलर और मछली पालन का व्यापार करता है। उसने अपने दो मौजिला मकान में नीचे ऑफिस बनाया है। 23 दिसंबर की रात 11.15 बजे ऑफिस के हिस्से में आग लगने से खुआं उठने लगा। जब वह दौड़कर नीचे पहुंचा तो देखा कि अलमारी का ताला टूटा था।

## चोरी के बाद सीसीटीवी कैमरे ने लगाई आग

दंपतके ने पुलिस को बताया कि किसी ने चोरी के बाद सीसीटीवी कैमरे से सोने सामान में आग लगा दी थी। इसके बाद जॉन के लिए एक पुलिस टीम बार्बाद गई। टीम ने दफ्तर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खांगले तो उसमें एक युवक-युवती बैग ले जाते हुए।



दिखाई दिए। दोनों स्कूटी पर जा रहे थे। इस पर पुलिस ने उनका मूवमेंट चेक किया।

जॉन के दौरान स्कूटी सवारों की तस्वीर साफ हुई तो पुलिस ने उनके पहचान कराई। इसमें पता चला कि स्कूटी सवार युवती प्रॉपर्टी डीलर के घर में काम करने वाली पुरानी मेड बिंदिया गोरामी उड़ चुकी है। जबकि युवक अविनाश गिरी गोरामी था, जो कि चोरी और कई मामलों में जेल जा चुका है।

जॉन में पता चला कि पचेंडी नाका पाकिंग में स्कूटी खड़ी कर दोनों आरोपी बस का

से कांकेर भाग गए। वहां वे किराए के मकान में रहने लगी। इस पर पुलिस ने कांकेर जाकर उनकी धेरबंदी की और मकान में छापा मारा।

वहां से पुलिस को नए इलेक्ट्रॉनिक सामान, बाइक, महंगे सामान और करीब 11 लाख रुपए बरामद हुए।

## 15 दिन पहले ही जेल से छूटा था अविनाश

पुलिस पुछताछ में अविनाश ने बताया कि बिंदिया सुनकी भाभी थी। कुछ महीने पहले ही



दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद वह महासमुद्र में हुए एक चोरी मामले में जेल चला गया। 15 दिन पहले ही जेल से छूटा था दोनों धरमरावा में साथ रहने लगे थे। चोरी के बाद खोरी दे गए नए सामान के साथ दोनों अपना घर बसा रहे थे।

## पति के किल्से सुन, दी चोरी की टिप

वहां बिंदिया ने पुलिस को बताया कि अविनाश के जेल जाने के बाद वह दीपक के मकान में बैठ दिया। अविनाश ने दीपक के दफ्तर में चोरी की सजिश रची। उसने बिंदिया को भी इसमें शामिल किया और बाकायदा देंगी थी। इसमें चोरी के बाद सीसीटीवी कैमरे जलाने, वहां से भागने और दूसरी जगह जाकर नए सिरे से जिंदगी किस तरह से शुरू करेंगे शामिल था।

जेल से बापस आया तो बिंदिया ने काम छोड़ दिया। अविनाश ने उसे अपनी चोरी के किसी सुनाए तो बिंदिया ने उसे दीपक के बायां लाखों रुपए होने की जानकारी दी।

इसके बाद अविनाश ने दीपक के दफ्तर में चोरी की सजिश रची। उसने बिंदिया को भी इसमें शामिल किया और बाकायदा देंगी थी। इसमें चोरी के बाद सीसीटीवी कैमरे जलाने, वहां से भागने और दूसरी जगह जाकर नए सिरे से जिंदगी किस तरह से शुरू करेंगे शामिल था।

# ट्रक ने पिकअप को मारी जोरदार टक्कर: हादसे में महिला की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल



मेश्राम मिलानिन थी। घटना के बाद सुबह उसका पति राजेश मौके पर पहुंचा। वर्षा नहीं होने के चलते सभी लोगों ने रात वर्षीय गुजारे का फैसला लिया। 20 लोग साथ पिकअप से उतर गए थे। और पास में बने मंदिर के बरामद में सो गए। वहाँ 5 लोग पिकअप के बैंडे डाला में बैठे थे, तभी पलारी थाने से 3 कीलोमीटर पहले कुकड़ा गांव के पास शनिवार रात 2 बजे पिकअप पँकड़ गए।

देर रात गाड़ी बनाने की कोई सुविधा नहीं होने के चलते सभी लोगों ने रात वर्षीय गुजारे का फैसला लिया। रात सुबह 4-साले 4 बजे पिकअप को जॉरदार टक्कर कर दी गई। इससे पिकअप 300 मीटर हवा में उछलकर जॉरदार पर जा गिरी। वर्षीय में पिकअप के अंदर लोगों ने लोगों के बीच बिंदिया गोरामी (42) को मौके पर मौत हो गई, वहाँ 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 2 बच्चे, एक महिला और एक युवक थामिल हैं। घायलों में से 3 को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जबकि युवक थामिल है। घायलों के डाला में दबे रहे, जिन्हें खांचकर निकाला और गार्डों द्वारा उपचार किया गया।

घायलों में भूरेंद्र कुमार टोंडे (30), त्रिवेणी बाई (40), आदिव्य (17), भावेश (9) थामिल हैं। इनमें से गंभीर रूप से घायल त्रिवेणी, भावेश और आदिव्य को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मृतकों के पास वर्षीय गोरामी (42) को जिला अस्पताल सहित 11 लाख 39 हजार के सामान जब्त किये गए हैं। आरोपियों के खिलाफ धारा 20 (बी) NDPS एकट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

जॉन कोरबा (ए.)। शहर के नया बस स्टैंड में जॉन के लिए परिवहन विभाग की उड़नदस्ता टीम पहुंची, जहां बिना परमिट के चलते एक बस को पकड़कर जब्त कर लिया। बिना परमिट के पालारी थाना लगाया है। शहर में बालों के मनमाने तरीके से संचालन पर लगाम कंसने परिवहन विभाग ने जॉन अधियान शुरू किया है। शिविर को विभाग की उड़नदस्ता टीम शहर के नया बस स्टैंड पहुंची, जहां बालों के परमिट के फिनेस की जांच की गई। इस दौरान एक बस बिना परमिट के चलते हुए पकड़ा गया, जिसे जब्त कर लिया। वहाँ 10 बस में नियमों का पूरी तरह पालन होना नहीं पाया गया।



## ट्कॉर्पियो में गांजा तस्करी, पुलिस ने तस्करों को दबोचा

गोरेला पेण्ड्रा मरवाही (ए

